

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

समादेष्टा-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
एस0डी0आर0एफ0, आपदा प्रबंधन विभाग।

पटना-15, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉंस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, के अंतर्गत कुल ₹12,03,00,000 (बारह करोड़ तीन लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-28/आ0प्र0 दिनांक-13.04.2017 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत कुल राशि ₹24,99,00,000/- (चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख) में से आवंटित की जा रही है।
- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष- 0104-राज्य आपदा रिस्पॉंस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020104, मांग संख्या-39 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-
उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य
लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध मांग संख्या-39
उपशीर्ष-0104-राज्य आपदा रिस्पॉंस फोर्स,

(राशि रुपये में)

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्ष 2017-18 में पूर्व का आवंटन	वर्ष 2017-18 में वर्तमान आवंटन	कुल योग	अभ्युक्ति
1.	01-वेतन	01 वेतन	3,30,00,000 (तीन करोड़ तीस लाख)	6,00,00,000 (छः करोड़)	9,30,00,000 (नौ करोड़ तीस लाख)	
2		07 अन्य भत्ता	1,65,00,000 (एक करोड़ पैंसठ लाख)	3,35,00,000 (तीन करोड़ पैंतीस लाख)	5,00,00,000 (पाँच करोड़)	
3	28-व्यवसायिक सेवाएँ	02 संविदा सेवाएँ	1,32,00,000 (एक करोड़ बत्तीस लाख)	2,68,00,000 (दो करोड़ अड़सठ लाख)	4,00,00,000 (चार करोड़)	
योग:-			6,27,00,000 (छः करोड़ सताईस लाख)	12,03,00,000 (बारह करोड़ तीन लाख रुपये)	18,30,00,000 (अठारह करोड़ तीस लाख)	

- यह आवंटन द्वितीय कमान अधिकारी-सह-लेखा पदाधिकारी, राज्य आपदा रिस्पॉंस फोर्स के पत्रांक-496 दिनांक-29.05.2017 एवं सगादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 के पत्रांक-529 दिनांक-07.06.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 31.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

10. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

11. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अनिरुद्ध कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ०प्र०,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/ योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/उप समादेष्टा एस०डी०आर०एफ०, बिहार, पटना/भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक 46/आ०प्र०

पटना-15, दिनांक- 12/3/17

प्रतिलिपि: लेखापाल, एस०डी०आर०एफ० (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी (यो०/एस०डी०आर०एफ०)/कार्यवाहक सहायक, (यो०/एस०डी०आर०एफ०)/आई० टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव